<u>न्यायालय : गोपेश गर्ग, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,</u> <u>गोहद जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश</u>

प्रकरण कमांक : 539 / 2012

संस्थापन दिनांक 17.07.2012

म.प्र.राज्य द्वारा पुलिस थाना एण्डोरी जिला भिण्ड म.प्र. — अभियोजन

बनाम

1—छोटू उर्फ योगेन्द्रसिंह पुत्र रामवरनसिंह परमार उम्र 19 साल

2-घन्टू उर्फ जितेन्द्रसिंह पुत्र रामवरनसिंह परमार उम्र 22 साल

3—चन्टू उर्फ चिन्टू उर्फ किशनसिंह पुत्र केशवसिंह परमार उम्र 24 साल

4—गुड्डू उर्फ रामवरन पुत्र कंचनसिंह परमार उम्र 42 साल निवासीगण ग्राम शेरपुर थाना एण्डोरी जिला भिण्ड

– अभियुक्तगण

<u>निर्णय</u>

(आज दिनांक	को	घोषित
-------------	----	-------

1. उपरोक्त आरोपीगण के विरुद्ध धारा 504 323/34 एवं 324/34 भारतीय दंड संहिता के अधीन दंडनीय अपराध का आरोप है कि उन्होंने दिनांक 9.06.12 को 17 बजे या उसके लगभग शेरपुर अंतर्गत थाना एंडोरी जिला भिण्ड स्थित मंदिर के पास कुए पर फरियादी टिंकल अ०सा01 व अंकित अ०सा02 को गाली गलोच कर अपमानित किया और तदद्वारा उसे इस आशय से या संभाव्य जानते हुए प्रकोपित किया कि वह ऐसे प्रकोपन से लोक शांति भंग करें या अन्य कोई अपराध कारित करें तथा अभियुक्तगण के साथ मिलकर मारपीट करने का सामान आशय निर्मित कर सामान्य आशय के अग्रसरण में टिंकल अ०सा01 व अंकित अ०सा02 की थप्पड़ व पर लाठियों से मारपीट कर स्वेच्छा उपहित कारित की तथा सहाअभियुक्त गण के साथ सामान्य आशय के अनुसरण में टिंकल

अ०सा०1 की धारदार हथियार से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की।

2.

3.

अभियोजन का मामला संक्षेप में यह है कि दिनांक 9 जून 2012 की शाम 5 बजे की घटना है फरियादी टिंकल अ०सा०1ा का छोटा भाई अंकित अ०सा०२ कुएं पर पानी भरने गया था तब कुए पर आरोपी छोटू भी पानी भर रहा था तब आरोपी छोटू की बाल्टी और अंकित अ0सा02 की बाल्टी आपस में कुए में टकरा गई। इस बात पर आरोपी छोटू ने अंकित अ0सा02 के गाल पर थप्पड़ मारे उसने अपने भाई अंकित अ0सा02 को बचाया तो आरोपी छोटू व आरोपी गुड़ू चिंटू व घंटूं नें आकर उसकी भी मारपीट की चिंदू ने एक लाठी टिंकल अ०सा०1 के मारी जो दाहिने पैर के घुटने व दाहिने हाथ की उंगलियों में लगी तब दौड़कर विनोद अ0सा04 सिंह व हरी सिंह आ गए जिन्होंने फरियादी को बचाया और घटना देखी तत्पश्चात फरयादी टिंकल अ०सा०१ द्वारा थाना एंडोरी में अदम चेक प्र.पी.१ दर्ज कराया गया तदोपरांत आरोपीगण को चिकित्सीय परीक्षण हेत् भेजा गया चिकित्सीय परीक्षण पर प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर थाना एंडोरी में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी गण के विरुद्ध अपराध क 57 / 12 कायम किया गया और मामला विवेचना में लिया गया। संपूर्ण विवेचना के उपरांत आरोपीगण के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनना प्रतीत होने से विचारण हेतु अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

आरोपीगण ने आरोप पत्र को अस्वीकार कर विचारण का दावा किया है। आरोपीगण की मुख्य प्रतिरक्षा है कि उन्हें प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। बचाव में किसी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया है।

4. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं कि :--

- 1. क्या आरोपीगण ने दिनांक 9.06.12 को 17 बजे या उसके लगभग शेरपुर अंतर्गत थाना एंडोरी जिला भिण्ड स्थित मंदिर के पास कुए पर फरियादी टिंकल अ0सा01 व अंकित अ0सा02 को गाली गलोच कर अपमानित किया तथ तदद्वारा उसे इस आशय से या संभाव्य जानते हुए प्रकोपित किया कि वह ऐसे प्रकोपन से लोक शांति भंग करें या अन्य कोई अपराध कारित करें ?
- 2. क्या आरोपीगण ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर अभियुक्तगण के साथ मिलकर मारपीट करने का सामान आशय निर्मित कर सामान्य आशय के अग्रसरण में टिंकल अ०सा०1 व अंकित अ०सा०2 की थप्पड़ व पर लाढियों से मारपीट कर स्वेच्छा उपहित कारित की ?
- 3. क्या आरोपीगण ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर सहअभियुक्तगण के साथ सामान्य आशय के अनुसरण में टिंकल अ0सा01 की धारदार हथियार से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की ?

/ / विचारणीय प्रश्न क्रमांक ०१ लगायत ०३ का सकारण निष्कर्ष / /

5. साक्षी टिंकल अ०सा०१ ने कथन किया है कि दिनांक 9 जून 2012 की शाम 5:00 बजे वह और उसका छोटा भाई अंकित अ०सा०२ कुएं पर पानी भर रहे थे छोटू पानी भर रहा था तब कुए में बाल्टी आपस में टकरा गई जिस पर आरोपी छोटू अंकित अ०सा०२ को मारने लगा और अंकित अ०सा०२ की कनपटी में थप्पड़ मारा। वह स्वयम बगल में खेल रहा था तब वह भाग कर आया तब आरोपीगण चिंटू घंटू गुड़ू और छोटू उसे भी मारने लगे। आरोपी चिंटू ने उसे लाठी मारी जो उसके सीधे हाथ की उंगली तथा सीधे पैर के घुटने में लगी। बीच बचाव में अंकित अ0सा02 के सीधे पैर के घुटने में लाठी लगी और सीधे हाथ की उंगली में लाठी लगी वहां पर मौजूद विनोद अ0सा04 सिंह ने आकर बीच बचाव किया वह अपने पिता संतोष अ0सा03 के साथ थाने पर रिपोर्ट करने गया था थाने पर उसके द्वारा की गई रिपोर्ट प्र0पी—1 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है उसका गोहद अस्पताल में मेडिकल हुआ था पुलिस चार दिन बाद नक्शा बनाने आई थी नक्शा मौका प्र0पी—2 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है।

साक्षी अंकित अ0सा02 ने कथन किया है कि दिनांक 9 जून 2012 की शाम 5:00 बजे वह कुएं पर पानी भरने के लिए गया था उसकी बाल्टी आरोपी छोटू की बाल्टी से टकरा गई तो छोटू उसे मारने लगा छोटू ने उसे थप्पड़ मारा फिर उसके घर वाले आ गए तब चिंटू ने लाठी उसके भाई टिंकल अ0सा01 के दाहिने पैर व दाहिने हाथ में मारी उसे भी चिंटू ने दाहिने पैर में दाहिने हाथ में लाठी मारी। स्कूल के पास विनोद अ0सा04 सिंह और हरी सिंह बैठे हुए थे जो उसे बचाने के लिए आये। पूरी घटना उसने अपने पिता संतोष अ0सा03 को बताई जिसके बाद वह थाने पर रिपोर्ट करने गए थे उसके बाद उसका मेडिकल हुआ था अन्य आरोपीगण ने भी उसकी वह उसके भाई टिंकल अ0सा01 की मारपीट की थी।

7. साक्षी संतोष अ०सा०3 ने कथन किया है कि वह आरोपीगण को जानता है दिनांक 31 मई 2016 से 4 वर्ष पूर्व जेष्ठ माह में शाम 5:00 घटना है टिंकल अ०सा०1 और अंकित अ०सा०2 ने उसे बताया कि वह सती के मंदिर के पास कुए में पानी निकाल रहे थे वहां पर आरोपीगण भी कुए से पानी निकालने लगे और उन्होंने बाल्टी डाल दी तब उनकी बाल्टी आरोपियों की बाल्टी से टकरा गई इस बात पर आरोपी घंटू ने अंकित अ०सा०2 के गाल पर थप्पड़ मारा आरोपी चिंटू छोटू गुड़ू और घण्टू ने लाठियां मारी जिससे उसके लड़के के दाहिने पैर और घुटने में चोट आई फिर वह थाने गए थाने में मेडिकल करवाया गया। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर इस साक्षी ने कथन किया है कि घटना के समय आरोपी छोटू ने अंकित अ०सा०2 के गाल पर थप्पड़ मारा था इस सुझाव को भी स्वीकार किया है कि आरोपी छोटू गुड़ू चिंटू घंटू ने मीटिंग कल की मारपीट की थी इस सुझाव को भी स्वीकार किया है कि आरोपी चिंटू ने टिंकल अ०सा०1 के लाठी मारी जिससे दाहिने पैर के घुटने और दाहिने हाथ की झुगंली उंगली में चोट आई थी।

साक्षी विनोद अ०सा०४ ने कथन किया है कि दिनांक 31 मई 2016 के 4 वर्ष पूर्व बैशाख माह में शाम 5:00 बजे की घटना है कुए के पास स्कूल पर बह और हरी सिंह आपस में बातचीत कर रहे थे तब अंकित अ०सा०२ और आरोपी छोटू कुंए पर पानी भर रहे थे इसके बाद आरोपी छोटू ने अंकित अ०सा०२ के गाल पर चांटा मारा फिर आरोपी गुड़डू, चन्टू घंण्टू, छोटू चारों लोग इकट्ठा हो गए इसके बाद आरोपी चिंटू ने लाठी मारी जो दाएं हाथ में लगी और एक पैर में लगी फिर वहां पहुंचा और बीच बचाव किया और पूछा कि लड़ाई क्यों हुई तो आरोपी छोटू ने उसे बताया कि उनका आपस में बाल्टियां टकराने पर लड़ाई हुई है।

. साक्षी हरि सिंह ने कथन किया है कि वह आरोपीगण को जानता है दिनांक 31 मार्च 2016 से 3—4 वर्ष पूर्व जेष्ठ या आषाढ़ माह में शाम 5:00 बजे की घटना है वह और विनोद अ0सा04 स्कूल के पास खड़े होकर बात कर रहे थे तब अंकित अ0सा02 और टिंकल अ0सा01 कुएं पर पानी भर रहे थे और आरोपी छोटू भी पानी भर रहा था तब अंकित अ0सा02 व टिंकल अ0सा01 की बाल्टी हुए में आरोपी छोटू की बाल्टी से टकरा जाने के कारण आपस में विवाद हो गया था आरोपी छोटू ने अंकित अ0सा02 के गाल पर थप्पड़ मार दिया फिर आरोपी चिंटू ने टिंकल अ0सा01 के लाठी मारी जो टिंकल अ0सा01 के दाहिने हाथ की उंगली व दाहिने पैर के घुटने में लगी। उसके बाद आरोपी गुड़ू व आरोपी छोटू ने भी मारपीट की थी फिर उसने व विनोद अ0सा04 सिंह ने बीच बचाव किया था। इसके बाद वह रिपोर्ट के लिए गए थे।

🖊 साक्षी डॉक्टर आलोक शर्मा ने कथन किया है कि वह दिनांक 09.06.12 को सिविल अस्पताल गोहद में मेडिकल ऑफिसर के पद पर पदस्थ थे उक्त दिनांक को थाना एंडोरी के आरक्षक सुरेश द्वारा लाए जाने पर उन्होंने राहत टिंकल अ०सा०१ पुत्र संतोष अ०सा०३ तोमर निवासी शेरपुर का परीक्षण किया था जिसमें निम्न चोट पाई थी चोट क्रमांक—1 दाएं हाथ के पीछे 0.3 गुणा 0.2 सेंटीमीटर का तथा 0.5 गणा 0.3 सेंटीमीटर का रगड़ का निशान था। चोट क्रमांक-2 दाएं घुटने में 0.8 गणा 0.2 गुणा 0.2 सेंटीमीटर का कटा हुआ घाव था जिस के एक्सरे की सलाह दी थी इस साक्षी के अभिमत अनुसार चोट क्रमांक एक कडे एवं बैथरे वस्तू से आना संभव थी और चोट क्रमांक 2 धारदार वस्तू से आना संभव है चोट क्रमांक एक साधारण प्रकृति की है और चोट क्रमांक 2 पर अभिमत एक्स-रे के आधार पर दिया जा सकता है उसके द्वारा आहत टिंकल अ०सा०1 की तैयार की गई रिपोर्ट प्र0पी–1 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी डॉक्टर आलोक शर्मा ने यह भी कथन है किया है कि उक्त दिनांक को ही आहत अंकित अ०सा०२ पुत्र संतोष अ०सा०३ का मेडिकल परीक्षण किया था जिसमें निम्न चोट पाई थी चोट क्रमांक एक दाई कोहनी पर 3 गणा 2 सेंटीमीटर का नील का निशान था जिसके एक्सरे की सलाह दी थी। चोट क्रमांक 2 दाएं कूल्हे के ऊपर 4 गुणा 2 सेंटीमीटर का नील का निशान था। उसके मत अनुसार यह चोट कड़े वह बहुत ही वस्तू से आना संभव थी जो परीक्षण के 12 घंटे के भीतर की थी चोट क्रमांक 1 का प्रकार एक्स-रे के आधार पर दिया जा सकता है चोट क्रमांक-2 साधारण प्रकृति की है। उसके द्वारा दी गई मेडिकल रिपोर्ट प्र.पी-2 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा आहत टिंकल अ०सा०1 अंकित अ0सा02 का एक्सरे परीक्षण किए जाने पर कोई अस्थि भंग होना नहीं पाया था एक्सरे रिपोर्ट प्र.पी 3 व 4 है जिसके ए से ए भागा पर उसके हस्ताक्षर हैं।

11. टिंकल अ०सा०१ ने मुख्यपरीक्षण में स्पष्ट कथन किया है कि चिन्टू ने उसे लाठी मारी जो सीधे पैर के घुटने में लगी यही कथन अंकित अ०सा०२ ने भी किया है। विनोद अ०सा०४ और हरीसिंह अ०सा०५ ने भी अपने मुख्यपरीक्षण में यही तथ्य बताया है। चिकित्सक डॉ० आलोक शर्मा अ०सा०१ ने उक्त दांये घुटने में चोट कटा हुआ घाव उल्लिखित किया है और प्रतिपरीक्षण में स्पष्ट कथन किया है कि प्र०पी—1 की उक्त चोट लाठी से आना संभव नहीं है। अतः इस विशेषज्ञ चिकित्सक साक्षी ने चोट की प्रकृति के आधार पर आहत व साक्षीगण की मौखिक साक्ष्य के तथ्य का खण्डन किया है कि टिंकल अ०सा०१ को घुटने में आरोपी चिन्टू द्वारा लाठी से चोट पहुंचाई गयी थी।

12. टिंकल अ0सा01 ने पैरा 2 में कथन किया है कि उसने साढ़े छः बजे शाम को रिपोर्ट लिखाई थी बचाव पक्ष ने विलम्ब से रिपोर्ट लिखवाया जाना बताया है। घटना शाम 5:00 बजे की है और थाने से दूरी 4 कि0मी0 की है। अतः डेढ़ हाण्टे का विलम्ब तात्विक विलम्ब की श्रेणी में नहीं आता है। टिंकल अ0सा01 ने पैरा 2 में कथन किया है कि वह कुंए के बगल के पास स्कूल में क्रिकेट खेल रहा था जहां से वह बीच बचाव के लिए आया था। रिपोर्ट प्र0पी—1 में इस साक्षी ने हाटना कहां से देखी यह न लिखाया जाना पैरा 2 में स्वीकार किया है। नक्शामौका प्र0पी—2 में स्कूल व कुए में मात्र एक मार्ग की चौड़ाई का अंतर है अतः उक्त स्थान से घटना देखा जाना पूर्णतः स्वाभाविक है जिसका रिपोर्ट प्र0पी—1 में लोप तात्विक नहीं है।

टिंकल अ०सा०१ ने पैरा २ में कथन किया है कि विनोद अ०सा०४ व हरीसिंह अ0सा05 घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे और आवाज सुनकर आये थे। अंकित अ0सा02 ने भी पैरा 2 में स्वीकार किया है कि कुंए पर वह और छोटू के अलावा अन्य कोई मौजूद नहीं था परन्तु विनोद अ0सा04 व हरीसिंह अ0सा05 का बचाने न आने का कोई सुझाव प्रतिपरीक्षण में नहीं दिया गया है। संतोष ने पैरा 3 में स्वयं की घटनास्थल पर उपस्थिति से इंकार किया है। विनोद अ0सा04 ने पैरा 2 में कथन किया है कि घटनास्थल पर जो दो लोग आपस में लंड रहे थे उनके अलावा कोई नहीं था। परन्तु यह स्पष्ट कथन किया है कि उसके सामने घटना हुई थी और कुंए व स्कूल के मध्य की दूरी 50 कदम की होना बतायी है। हरीसिंह अ०सा०५ ने भी पैरा २ में कथन किया है कि स्कूल के आसपास उनके अलावा अन्य कोई मौजूद नहीं था और कथन किया है कि कुंए से स्कूल की दूरी पचास मीटर है कुंआ स्कूल के सामने है और पैरा 3 में कथन किया है कि जब वह पानी भर रहे थे तब उसने नहीं देखा परन्तु जब मुंहवाद हुआ तब वह आवाज सुनकर पहुंच गयाथा तब आरोपीगण व फरियादी का झगड़ा हुआ था। अतः टिंकल अ०सा०१ के कथन से घटनास्थल पर घटना के समय विनोद अ०सा०४ व हरीसिंह अ०सा०५ की उपस्थिति प्रमाणित होती है। विनोद अ०सा०४ व हरीसिंह अ०सा०५ के प्रतिपरीक्षण में ऐसे कोई तथ्य स्पष्ट नहीं हुए है कि वह स्कूल पर नहीं थे स्कूल व कुंए के बीच की दूरी भी मात्र पचास मीटर है जहां से आवाज सुनकर घटनास्थल पर पहुंच जाना अस्वाभाविक नहीं है।

14. टिंकल अ०सा०१ ने पैरा 3 में कथन किया है कि पांच दिन बाद पुलिस नक्शामौका प्र0पी—2 बनाने आयी थी नक्शामौका प्र0पी—2 भी लगभग पांच दिवस उपरांत का ही है और उक्त दिनांक के ही धारा 161 द.प्र.स. के कथन हैं। उसने स्वीकार किया है कि नक्शामौका बनाने के बाद पुलिस थाने पर चली गयी। बचाव पक्ष का तर्क है कि इस साक्षी ने पुलिस कथन अंकित अ०सा०२ किया जाना नहीं बताया है लेकिन प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी को स्पष्ट सुझाव नहीं दिया गया है। अतः स्पष्टीकरण के अवसर के अभाव में उक्त तथ्य तात्विक नहीं हैं।

5. अंकित अ०सा०२ ने पैरा २ में कथन किया है कि उसका आरोपीगण से बोलचाल व शादी समारोह में जाना नहीं है। संतोष ने पैरा ४ में कथन किया है कि घटना के समय उसके व आरोपीगण के अच्छे संबंध थे और आना—जाना था। अतः घटना के पूर्व आहतगण की आरोपीगण से कोई पुरानी रंजिश स्पष्ट नहीं होती है। विनोद अ०सा०४ ने पैरा २ में इंकार किया है कि वह संतोष का पड़ौसी है इस कारण आरोपीगण के खिलाफ गवाही दे रहा है और हरीसिंह अ०सा०५ ने भी पैरा ४ में आरोपीगण से हितबद्धता अस्वीकार की है। बचाव पक्ष ने भी विनोद अ०सा०४ और हरीसिंह अ०सा०५ की हितबद्धता प्रमाणित नहीं की है। अतः विनोद

अ०सा०४ और हरीसिंह अ०सा०५ स्वतंत्र साक्षी की श्रेणी में होना प्रमाणित होते हैं।

- 16. हरीसिंह अ0सा05 ने पैरा 3 में कथन किया है कि वह और विनोद अ0सा04 मारपीट होते समय खड़े होकर देखते रहे और बीच बचाव नहीं कराया परन्तु मारपीट के बाद बीच बचाव कराया था। अतः यद्यपि इस साक्षी ने घटना के समय बीच बचाव न करना बताया है परन्तु घटना के समापन पर बीच बचाव करना बताया है जो अस्वाभाविक नहीं हैं।
 - 🦰 अतः टिंकल अ0सा01 व अंकित अ0सा02 ने मुख्यपरीक्षण में स्वयं को आरोपीगण द्वारा उपहति पहुंचाया जाना बताया है। यद्यपि चिकित्सक डॉ० आलोक शर्मा अ0सा01 ने चोट क्रमांक 1 लाठी से पहुंचाये जाने से इंकार किया है जिससे टिंकल अ०सा०१ के घुटने में कटे हुए घाव की संपुष्टि नहीं होती है परन्तु दांये हाथ के पीछे रगड के निशान की चोट के संबंध में अभियोजन मामले से भिन्न कोई तथ्य प्रमाणित नहीं होते हैं और धारा 319 भा.द.स. के अधीन उपहति के लिए उक्त तथ्य पर्याप्त हैं। अतः टिंकल अ०सा०१ व अंकित अ०सा०२ के कथन से आरोपीगण द्वारा उपहति पहुंचाया जाना स्पष्ट होता है जिसकी संपृष्टि विनोद अ०सा०४ व हरीसिंह अ०सा०५ के कथन से भी होती है। उक्त साक्षीगण के मुख्यपरीक्षण में दिए कथन पर अविश्वास किए जाने का कोई कारण सिद्ध नहीं होता है। घटनास्थल पर सभी आरोपीगण की उपस्थिति और उपहति में योगदान स्पष्ट हुआ है जिससे सामान्य आशय भी सिद्ध होता है। अतः अभियोजन साक्ष्य की विवेचना से यह युक्तियुक्त संदेह के परे सिद्ध होता है कि आरोपीगण ने सहअभियुक्त के साथ सामान्य आशय के अग्रसरण में टिंकल अ०सा०1 व अंकित अ०सा०२ को स्वेच्छा उपहति कारित की। परन्तु यह सिद्ध नहीं होता है कि आरोपीगण ने घटना में किसी धारदार हथियार का उपयोग किया और टिंकल अ०सा०१ के चोट क्रमांक २ लाठी से पहुंचाया जाना भी चिकित्सीय साक्ष्य से स्पष्ट नहीं हुआ है। अतः यह सिद्ध नहीं होता है कि आरोपीगण ने सहअभियुक्तगण के साथ सामान्य आशय के अग्रसरण में टिंकल अ०सा०1 की धारदार हथियार से स्वेच्छया उपहति कारित की।
- 18. टिंकल अ0सा01 व अंकित अ0सा02 ने यह कथन नहीं किया है कि आरोपीगण ने उन्हें अश्लील गालियां दीं हो अथवा किसी प्रकार प्रकोपित किया हो और न ही यह कथन विनोद अ0सा04 व हरीसिंह अ0सा05 ने किया है जिसके परिणामस्वरूप आरोपीगण द्वारा फरियादी को सआशय अपमानित कर प्रकोपित किया जाना सिद्ध नहीं होता है।
- 19. परिणामतः उपरोक्त साक्ष्य की विवेचना के आधार पर आरोपीगण को धारा 504 व 324/34 भा.द.स. के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है। आरोपीगण को धारा 323/34 भा.द.स. के आरोप में आहत टिंकल अ0सा01 व अंकित अ0सा02 को स्वेचछा उपहति कारित करने के आरोप में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।
- 20. आरोपीगण के जमानत व मुचलके भारमुक्त कर उन्हें अभिरक्षा में लिया जाता है।
- 21. अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों पर विचार किया गया। आरोपीगण ने सआशय बाल्टी टकराने की बात पर घटना कारित की है जो बिना प्रकोपन के कारित की है। अतः आरोपीगण का आचरण ऐसा नहीं है कि उन्हें परिवीक्षा का लाभ प्रदान किया जाये। अतः आरोपीगण को परिवीक्षा का लाभ प्रदान

नहीं किया जा रहा है।

प्रकरण दण्ड के प्रश्न पर सुनने हेतु कुछ देर पश्चात पेश हो।

सही / –
(गोपेश गर्ग)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

पुनश्च:

22.

- 23. आरोपीगण के विद्वान अधिवक्ता को दण्ड के प्रश्न पर सुना गयाउनके द्वारा आरोपीगण को अल्प सजा दिए जाने का निवेदन किया गया है। दण्ड के प्रश्न पर विचार किया गया। आरोपीगण द्वारा टिंकल अ०सा०1 व अंकित अ०सा०2 को खरोंच के रूप में स्वेच्छा उपहित कारित किया जाना ही प्रमाणित हुआ है। अतः आरोपीगण को धारा 323/34 भा.द.स. के आरोप में टिंकल अ०सा०1 को उपहित कारित करने के लिए पांच—पांच सौ रूपये के अर्थदण्ड व न्यायालय उठने तक के कारावास से दण्डित किया जाता है। आरोपीगण द्वारा अर्थदण्ड जमा किए जाने के व्यतिक्रम की दशा में पांच दिवस का साधारण कारावास भुगताया जाये। आरोपीगण को धारा 323/34 भा.द.स. के आरोप में अंकित अ०सा०2 को उपहित कारित करने के लिए पांच—पांच सौ रूपये के अर्थदण्ड व न्यायालय उठने तक के कारावास से दण्डित किया जाता है। आरोपीगण द्वारा अर्थदण्ड जमा किए जाने के व्यतिक्रम की दशा में पांच दिवस का साधारण कारावास भुगताया जाये। अतः प्रत्येक आरोपी को एक—एक हजार रुपये कुल चार हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
- 24. अर्थदण्ड में से प्रतिकर राशि एक हजार रूपये आहत टिंकल अ०सा०1 को और एक हजार रूपये आहत अंकित अ०सा०२ को अपील अवधि पश्चात संदाय किये जायें अपील होने की दशा में अपील न्यायालय के आदेश का पालन किया जाये।

दिनांक :-

सही / -(गोपेश गर्ग) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद जिला भिण्ड म०प्र०